समाहरणालय, मधेपुरा
(राजस्व शाखा)
लिपिक ......
संकलन संख्या.......
पत्र संख्या.....545
दिनांक.....06/9/16

05/09 2016 17:33 FAX 06122235 [redacted] UE DEPTT

05 SEP 2016

पत्रांक–7/भूदान (विविध)–1/15 /रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार झा,
संयुक्त निदेशक,
कृषि गणना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
सिवान।

पटना–15, दिनांक–..........................

विषय – भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण के संबंध में।

प्रसंग– आपका पत्रांक–135/रा0, दिनांक–29.07.2016

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रासंगिक पत्र का संदर्भ लिया जाय, जिसके द्वारा भूदान में प्राप्त भूमि के वितरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर विभागीय परामर्श/मार्गदर्शन की अपेक्षा की गयी है :–

1 सैरात भूमि का पर्चा निर्गत/वितरण।
2. सरकारी भूमि का पर्चा निर्गत कर वितरण किया जाना।
3. असंपुष्ट भूमि का पर्चा निर्गत कर वितरण किया जाना।
4. जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा गैर मजरूआ मालिक भूमि का दान दिया जाना।
5. बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रभाव के आने के पूर्व दान में मिली भूमि।

उपर्युक्त क्रमांक 1 से 5 पर अंकित पृच्छाओं के आलोक में बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 में निहित प्रावधान एवं विधि विभाग से प्राप्त परामर्श निम्नवत है :–

1 <u>सैरात भूमि का प्रमाण–पत्र निर्गत/वितरण</u> :–

बिहार भूदान अधिनियम की धारा 10(1) में जमीन को दान के रूप में आचार्य विनोवा भावे अथवा बिहार भूदान यज्ञ कमीटी को दिये जाने के संबंध में निम्न प्रावधान अंकित किया गया है। :– "Any person being the owner of any land may donate such land to the Bhoodan yagna Committee or to Shri Acharya Vinoba Bhave by a declaration in writing in that behalf (hereinafter called the Bhoodan Yagna Danpatra);

उल्लेखनीय है कि सैरात की जमीन पर किसी भी निजी व्यक्ति/परिवार का स्वामित्व नहीं होता है। अतः सैरात भूमि को यदि किसी व्यक्ति के द्वारा भूदान यज्ञ समिति को दान स्वरूप दिया गया हो एवं उसका प्रमाण–पत्र बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा वितरित किया गया है तो वैसे वितरित प्रमाण–पत्र की मान्यता नहीं होगी।

2. <u>सरकारी भूमि का पर्चा निर्गत कर वितरण किया जाना</u> :–

सरकारी भूमि (गैर मजरूआ आम, खास, कैसरे हिन्द, खासमहाल आदि) को भूदान यज्ञ समिति को दान स्वरूप दिये जाने हेतु सरकार द्वारा किसी भी प्राधिकार का गठन/निर्धारण नहीं किया गया है। सरकारी जमीन की बन्दोबस्ती सक्षम श्रेणी के व्यक्तियों/परिवारों के साथ किये जाने का प्रावधान निर्धारित है। यदि सरकारी जमीन का प्रमाण–पत्र भूदान यज्ञ समिति के द्वारा वितरित किया गया है, तो वैसी स्थिति में इसकी मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वैसी जमीन को दान स्वरूप भूदान यज्ञ समिति को दिये जाने हेतु कोई भी व्यक्ति अथवा सरकारी पदाधिकारी प्राधिकृत नहीं है। लेकिन इस संबंध में विभाग का स्पष्ट अभिमत है कि यदि गैर मजरूआ खास जमीन का प्रमाण–पत्र

D:\2016\August\Letter-01-08-16.doc

किसी सक्षम श्रेणी के व्यक्ति अथवा परिवार को बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा दिया है तो वैसी जमीन संबंधित व्यक्ति/परिवार के साथ बन्दोबस्ती कर उसे नियमित कर दिया जाय।

3. <u>असंपुष्ट भूमि का पर्चा निर्गत कर वितरण किया जाना</u> :-

भूदान के अन्तर्गत दान स्वरूप प्राप्त भूमि के वितरण का प्रावधान बिहार भूदान यज्ञ समिति की धारा 14 एवं 15 में अंकित किया गया है। ऐसा भी हुआ है कि कुछ प्रमाणिक दान पत्र समुष्टि के लिए भूदान यज्ञ समिति के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के न्यायालय में दाखिल कर दिये गये एवं सम्पुष्टि से पहले ही वैसी भूमि का वितरण भी कर दिया गया। इसके संबंध में विभागीय आदेश - E/VII-3067/60/60-9091-L.R., dated Patna, the 12th/14th November, 1960 में निम्न प्रावधान अंकित किया गया है :-

".....Government have, therefore, been pleased to decide that in all cases where lands have been donated in Bhoodan Yagjna, in respect of which the Danpatras have either been confirmed or are pending confirmation, the revenue officers should not settle such lands wwith anybody. On the other hand, if the lands have been distributed already by the Bhoodan Committe and Danpatras have also been confirmed, immediate steps should be taken for mutation in the names of the Bhoodan Committee as will as of the Bhoodan Tenants names in Rent Rolls, and in case of division of holding, assessment of rent should also be carried out without any loss of time. **If, however, lands have been distributed by the committee in anticipation of the confirmation of the Danpatras, the revenue officers should immediatley take steps to ensure that the cases reating to the confirmation of Danpatras are disposed of quickly.**

इस प्रकार यदि किसी असंपुष्ट भूमि का वितरण बिहार भूदान यज्ञ समिति के द्वारा भूमिहीन परिवारों के साथ कर दिया गया है तो वैसी स्थिति में संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता दान पत्र के सम्पुष्टि की कार्रवाई करेंगे। यदि वैसे दान पत्रों को सम्पुष्ट कर दिया जाता है तो वितरित प्रमाण-पत्रों को सही माना जायेगा और यदि वैसे दान-पत्रों को असंपुष्ट किया जाता है, तो असम्पुष्टि से संबंधित प्रमाण-पत्रों को भूदान यज्ञ समिति के द्वारा वापस ले लिया जायेगा एवं जमीन संबंधित रैयत/सरकार का माना जायेगा।

4. <u>जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूतपूर्व जमींदार द्वारा गैर मजरूआ मालिक भूमि का दान दिया जाना</u> :-

इस संबंध में अपर समाहर्त्ताओं की बैठकों में एवं प्रमंडल स्तर पर आयोजित राजस्व से संबंधित बैठाकों में प्राप्त पृच्छाओं के आलोक में विधि विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया। विधि विभाग के द्वारा इस संबंध में निम्न परामर्श अंकित किया गया है :-

..... जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् यदि किसी भूतपूर्व जमींदार के द्वारा गैर जमरूआ खास जमीन भूदान यज्ञ समिति अथवा विनोबा भावे को दान स्वरूप दिया गया है तो ऐसे दान पत्रों की वैधानिक मान्यता नहीं होगी क्योंकि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् खास भूमि सरकार में ही निहित हो चुका है।

अतः ऐसी गैरमजरूआ खास जमीन, जो जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूतपूर्व जमींदारों द्वारा दान स्वरूप दी गयी हो एवं जिसे तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा संपुष्ट किया गया है उसे भी वैधानिक नहीं माना जा सकता है।

क्योंकि उक्त जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमींदार को प्राप्त नहीं था एवं तद्नुसार उसकी बंदोबस्ती करना अवैध कार्रवाई की श्रेणी में आयेगा एवं उनके द्वारा की गयी बंदोबस्ती अवैध माना जायेगा"।

विधि विभाग के उपर्युक्त परामर्श के आलोक में महाधिवक्ता कार्यालय (माननीय उच्च न्यायालय) के द्वारा भी निष्कर्षतः इस संबंध में निम्न परामर्श दिया गया है :-

".....**Considering these qspects of the matter in my opinion the Ex-land Lord i.e. Jamindari cannot settle Gairmazrua land which has vested in the State of Bihar.**"

5. <u>बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के प्रभाव के आने के पूर्व दान में मिली भूमि</u> :–

बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 की धारा 15 में यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के प्रभाव में आने के पूर्व यदि आचार्य विनावा भावे को दान पत्र के माध्यम से जमीन दान स्वरूप प्राप्त हुआ, तो वैसी जमीन को भी बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम के अन्तर्गत मानी जाये एवं उसका वितरण धारा 15 में निहित प्रावधान के आलोक में की जाये। इस संबंध में निहित प्रावधान निम्वत है :–

1. "Where any land has been donated in writing for purposes of the Bhoodan Yagna prior to the commencement of this Act, the Bhoodan Yagna Danpatra concerning such lannd shall be forwarded by the Bhoodan Yagna Committeee to the Revenue Officer of the local area within which the land is situated and the provisions of this Act shall appply <u>mutatis mutandis</u> in respect of land donated under such Bhoodan Yagna Danpatra as they apply in respect of donation of land made after the commencement of this Act;

3. If such land had before the commencement of this Act been granted to any person in pursuance of the Bhoodan Yagna, it shall, with effect from the date of grant, be deemed to have been granted to such person under section 14 subject to the restrictions and conditions imposed thereunder."

उपर्युक्त विभागीय परामर्श/मार्गदर्शन के आलोक में अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

ज्ञापांक :– 970-(7) /रा0, पटना–15 दिनांक– 29/8/16
प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/8/16
(विनोद कुमार झा),
संयुक्त निदेशक, कृषि गणना।

FAX
5/9/16

ज्ञापांक 583-2/सपत्र / रा० मधेपुरा दिनांक 07-09-2016 ।
प्रतिलिपि: निदेशानुसार सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7/9/16
प्रभारी पदाधिकारी,
राजस्व, मधेपुरा।

7/9/16

D:\2016\August\Letter-11-08-16.doc